मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्याः सी–11/26/2/2013–सतर्कता

दिनांकः 15 अक्तूबर, 2013

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा अधीक्षक, सभी क.रा.बी.आदर्श अस्पताल/क.रा.बी.नि.अस्पताल,
सभी वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त, नि(चि.)दिल्ली, निदेशक(चि.)नौएडा,
क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय,
संयुक्त निदेशक(स्था.5), मुख्यालय ।

विषयः दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपने दिनांक 25.09.2013 के पत्र संख्या 013/वीजीएल/082, द्वारा निर्णय लिया है कि इस वर्ष 28.10.2013 से 02.11.2013 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया जाएगा । आयोग के उपर्युक्त पत्र की प्रति इसके अनुलग्नकों सहित, तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है ।

इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का मुख्य केंद्र बिंदु **"सुशासन को बढ़ावा–सतर्कता का सकारात्मक योगदान"** है । केन्द्रीय सर्तकता आयोग एक सर्वोच्च सत्यनिष्ठ संस्था के रूप में पारदर्शिता, निष्पक्षता, समता का समर्थन और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने के साथ–साथ सरकार और उसके संगठनों के कार्यचालन के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है । अतः सुशासन को बढ़ावा देना इस वर्ष सतर्कता जागरूकता अभियान का मुख्य केंद्र बिंदु है ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार निगम कार्यालयों में दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा । सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाएः–

1. दिनांक 28.10.2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा की जाए । इस अवसर पर यह प्रतिज्ञा संबंधित कार्यालय के प्रमुख द्वारा कराई जाए। आयोग के दिनांक 25.09.2013 के पत्र के साथ प्राप्त प्रतिज्ञा संलग्न है।
2. उपयुक्त स्लोगन के साथ कार्यालय के प्रमुख स्थलों पर पोस्टर, बैनर, प्रदर्शन पट्ट इत्यादि प्रदर्शित किए जाएं । प्रदर्शित किए जा सकने वाले कुछ विशेष स्लोगन अनुलग्नक–'क' पर हैं। हालांकि कार्यालय प्रमुख इस अवसर के लिए कुछ नए, आकर्षक और उपयुक्त स्लोगन भी सृजित कर सकते हैं और उन्हें शामिल कर सकते हैं । बैनर, पोस्टर इत्यादि सरल नारों के

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन
Website Contents Management..........
डायरी सं./Diary No. 598
दिनांक/Date 15/10/13

रूप में हिंदी–अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में हो सकते हैं । ये कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानीय स्तर पर छपवाए जा सकते हैं और शाखा कार्यालय, क.रा.बी.औषधालयों, अस्पतालों तथा वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त एवं राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालयों को वितरित किए जा सकते हैं ।

3. राज्य/क्षेत्र/उप क्षेत्र की विभिन्न जगहों पर भ्रष्टाचार निरोधी विषयों पर बैठक, संगोष्ठी, वाद–विवाद, कार्यशाला, व्याख्यान भी आयोजित/संचालित किए जाएं तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाएं। कुछेक क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में क.रा.बी.निगम मुख्यालय के अधिकारी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, प्रसिद्ध व्याख्याताओं, सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को प्रतिभागियों को संबोधित करने हेतु आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हैं। संबोधित करने के विषय ये होंगे–ग्राहकोन्मुखी कार्यक्रमों में निपुणता और पारदर्शिता, हमारे द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना, प्रणाली और प्रक्रिया के सुधार के लिए की गई पहल, शिकायत निवारण तंत्र और शिकायत निवारण हेतु उपलब्ध उपाय ।

4. अवधि के दौरान विशेष पत्रिका जारी करना ।

5. स्थानीय क्षेत्र के गैर–सरकारी संगठनों, संस्थाओं और सेवा संघों से सतर्कता जागरूकता अभियान में भाग लेने के लिए अनुरोध करना ।

6. भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समर्पित टोल फ्री हॉटलाइन नंबर होना ।

7. सतर्कता जागरूकता सप्ताह को भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों का प्रचार करने में उपयोग करने के प्रयास किए जाएं तथा प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधी अभियान चलाया जाए ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह की समाप्ति पर फोटो, सी.डी. इत्यादि सहित पूर्ण रिपोर्ट दिनांक 26.11.2013 तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य प्रेषित की जाए ताकि मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिनांक 15.12.2013 तक रिपोर्ट भेजी जा सके ।

कृपया पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

14/10/13

(हरबीर सिंह)
निदेशक(सतर्कता)
कृते मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. सभी ऑचलिक सतर्कता/विभागीय जांच/चिकित्सा सतर्कता अधिकारी ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय को वेबसाइट पर डालने हेतु ।
3. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त/मुख्य अभियंता के निजी सचिव ।

14/10/13

~~उपनिदेशक~~ निदेशक(सतर्कता)

C:\BDM\Vig\vigdoc

संलग्नक–क

स्लोगन (सूक्तियॉं)

1. हितलाभार्थियों के अधिकार उनके द्वारा देय अंशदान के एवज में है, न कि रिश्वत के ।
2. भ्रष्टाचार गरीब विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी है ।
3. रिश्वत न दें । यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कोई रिश्वत मांगता है तो निम्नलिखित में किसी एक को सूचित करें ।

श्री अनिल कुमार अग्रवाल आई.ए.एस. महानिदेशक क.रा.बी.निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली–110002	श्री वि.एन.त्रिपाठी मुख्य सतर्कता अधिकारी, क.रा.बी.निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली–110002	श्री प्रदीप कुमार, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता भवन, ब्लाक–ए, जी.पी.ओ. कॉम्पलेक्स, आई.एन.ए. नई दिल्ली–110023

4. विलम्ब भ्रष्टाचार का पोषक है, विलंब न होने दें ।
5. कार्यकुशलता/दक्षता में थोड़ी कमी अथवा उपेक्षा सहनीय है किन्तु सत्यनिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है ।
6. सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को भयमुक्त संरक्षक तथा भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी के लिए आंतक का स्रोत बनने दें । ––लाल बहादुर शास्त्री
7. ईमानदारी से कमाया गया धन फलता–फूलता है। भ्रष्टाचार से कमाया गया धन नष्ट हो जाता है।
8. ईमानदार व्यक्ति के लिए सुन्दर भविष्य प्रतीक्षा करता है । भ्रष्ट व्यक्ति को उसका अतीत आतंकित करता है ।
9. प्रत्येक भ्रष्टाचारी के पीछे उसका लालची परिवार होता है ।
10. ईमानदार व्यक्ति ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना है । ––एलेक्जेंडर पोप
11. ऐसा कार्य मत करो जो पकड़े जाने पर नहीं करते । ––लीह अरेन्ट
12. भ्रष्टाचारी के अनेक मालिक होते हैं, जबकि ईमानदार किसी का सेवक नहीं होता है ।
13. कार्य करें, कार्य करने की प्रतीक्षा न करें ।
14. भ्रष्टाचार रोकने का एक तरीका यह भी है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले उपायों को नियंत्रित करें ।––केन्द्रीय सतर्कता आयोग
15. गोपनीयता की संस्कृति से भ्रष्टाचार पनपता है ।
16. जब सतर्कता जागरूकता आएगी तब भ्रष्टाचार का अंत सुनिश्चित होगा ।
17. इस संसार में प्रत्येक की आवश्यकता हेतु पर्याप्त साधन है, परंतु उनके लालच हेतु नहीं । ––महात्मा गांधी
18. सत्य सदा सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी फलदायक है ।
19. आदमी वही है जो अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सके ।

(कृपया ध्यान दें: कार्यालय इस अवसर हेतु सजग करने वाली उपयुक्त, नई सूक्तियॉं बनाकर इन्हें भी सम्मिलित कर सकते हैं)